25.2.22	कोई आपत्ति नहीं। सायलान एवं गैरसायलान को व उनके अभिभावक को कई बार आवाज लगाई गई। कोई हाजिर जवाब नहीं आया। मूल वाद भी अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज हो चुका है। अतः दावा वादी की दरख्वास्त के प्रार्थना पत्र 42 RTA भी अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर संलग्न मूल वाद रहे।

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज.)